पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0 (को0) 220/2017 .978 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम, बिहार।
कार्यपालक अभियंता
सभी जिला शहरी विकास अभिकरण,
कार्यपालक पदाधिकारी
सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 26/7/17

विषयः– निविदा कार्यों हेतु संशोधित मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप के अनुरूप निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ई–टेंडरिंग पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

प्रायः देखा जा रहा है कि नगर निकायों द्वारा भिन्न–भिन्न निविदा शर्त्तों का समावेश करते हुए निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित करायी जाती है।

सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा संशोधित मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप तैयार किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यान्वित किये जाने वाले योजनाओं को राशि के आधार पर निम्नांकित तीन श्रेणियों में रखा गया है।

(1) 50.00 लाख तक के राशि के कार्यों की निविदा।

(2) 50.00 लाख से 200.00 लाख तक के राशि के कार्यों की निविदा।

(3) 200.00 लाख से अधिक राशि के कार्यों के लिए।

उपरोक्त क्रमांक (1) एवं (2) पर अंकित राशि के योजनाओं के लिए संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप अलग–अलग संलग्न की जा रही है।

क्रमांक (3) पर अंकित राशि के योजनाओं के लिए निविदा S.B.D के आधार पर किया जाना है, जो पूरे राज्य के लिए समान शर्त्तों के अनुरूप होता है। हालांकि S.B.D के साथ–साथ क्रमांक (2) पर अंकित निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप भी अपलोड करना आवश्यक होता है।

उल्लेखनीय है कि निश्चय योजना अन्तर्गत हर घर नल–जल योजना के लिए भी मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप निर्गत किया गया था, जिसमें भी कतिपय संशोधन की आवश्यकता है। तद्नुसार नल–जल योजना हेतु पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप में निम्नांकित सुधार कर लिया जाय।

(1) रोटरी रिभर्स रिग मशीन के भौतिक सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता, डुडा से कराने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए मात्र उक्त संयंत्र का प्रमाणक एवं स्वसत्यापित सूची संलग्न करना आवश्यक होगा।

(2) चरित्र प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है।

(3) वैट निबंधन के स्थान पर जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(4) राजपत्रित पदाधिकारी के सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त करते हुए सभी अपलोडेड कागजात संवेदक द्वारा स्वसत्यापित रहने की शर्त्त रखी गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कृपया संलग्न मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप के अनुरूप ही योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित करायी जाय। यह निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अनु0:– (1) 50.00 लाख से कम राशि के लिए (एकल बीड पद्धति द्वारा) का निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप

(2) 50.00–200.00 लाख राशि तक के लिए (डबल बीड पद्धति द्वारा) का निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप

विश्वासभाजन

26.7.17

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग

उदाहरण स्वरूप मानक निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप
₹ 50.00 लाख से ऊपर के कार्यो के लिए (डबल बीड पद्धति)

कार्यालय का नाम
कार्यपालक अभियंता/नगर आयुक्त/मुख्य नगर अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत

निविदा आमंत्रण सूचना (ई–टेंडरिंग द्वारा www.eproc.bihar.gov.in)
संख्या E-Tender - /2017–18

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता/नगर आयुक्त/मुख्य नगर अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक–16.07.2017
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक 07.08.2017 से 13.08.2017 के 15:00 बजे तक (on website www.eproc.bihar.gov.in)
4. प्री बीड मीटिंग का समय स्थान/तिथि : समय 11:00 बजे स्थान– कार्यालय कक्ष, कार्यालय का नाम .... दिनांक– 10.08.2017
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक– 14.08.2017 के 15:00 बजे तक (on website www.eproc.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय : दिनांक– 16.08.2017 के 15:30 बजे के बाद (on website www.eproc.bihar.gov.in)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय : तकनीकी बीड के निष्पादन के पश्चात। (on website www.eproc.bihar.gov.in)
8. अग्रधन, सभी शपथ–पत्र, Existing Committment (मूल में), परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान : दिनांक–16.08.2017 के 15:00 बजे तक
स्थान–1. मुख्य अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना, का कार्यालय।
2. अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना का कार्यालय।
3. कार्यपालक अभियंता/नगर आयुक्त/मुख्य नगर अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत

TO BE CHANGED ACCORDINGLY

9. **कार्य का विवरण:–**

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 में)	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्कुलिंडिग मोनसून अवधि माह में)
1	.... TO BE FILLED IN SUITABLY					

नोटः– 1. **Bidders should submit Bid Processing fee through on line payment as per amount generated on website** **www.eproc.bihar.gov.in**

10. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
11. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को ''Bid Processing Fee'' निम्न विधि से जमा करना होगाः–
    (i) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking. NEFT/RTGS.
    (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
12. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के हैं, निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेपटेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन भी मान्य होगा।
13. दो करोड़ से उपर की राशि की निविदा SBD (Standard Bid Documents) के माध्यम से की जायेगी।
14. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता हैं।
15. ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई–टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हे उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Passoword) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हे (www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क प्रथम तल्ल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिग रोड नं0–25, श्री कृष्णा नगर, पटना–800020, दूरभाष संख्या–0612–2523006, मो0 संख्या–7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता हैं।
16. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्क्लन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेन संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
17. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यो से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगें। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते है तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।
    (2) निविदा सूचना की अन्य शर्त्तो को पूरा करने के बावजूद किसी संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदिः–
        (क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किये गये है।
        (ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात, उन्होंने आवंटित कार्य को अधुरा छोड़ दिया हो, संविदा के शर्त्तो के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
    (3) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदाधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
18. **परिमाण विपत्र का मूल्य**

उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता/नगर आयुक्त/मुख्य नगर अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत के पदनाम से संबंधित जिलें के बैंक में भुगतेय हो, स्वीकार किया

जायेगा, जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए तथा निविदा प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर संवेदक द्वारा कार्यालय में परिमाण विपत्र का मूल्य जमा किया जाना चाहिए।

(1) **अग्रधन**

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि जो **कार्यपालक अभियंता/नगर आयुक्त/मुख्य नगर अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत** के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हो (मूल में) जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन के रूप में निम्न प्रकार के मौद्रिक साधन (Monetary Instrument) अनुमान्य होंगे।

(i) किसी भी अनुसूचित बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक का सावधि जमा रसीद (सावधि जमा रसीद की वैद्यता अवधि निविदा प्राप्त की तिथि से छ महीने अधिक तक की अवधि के लिए वैद्य होनी चाहिए तथा निविदा निकालने वाले पदाधिकारी को प्रतिज्ञिप्त होना चाहिए।

(ii) किसान विकास पत्र।

(iii) किसी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो संबंधित पदाधिकारी के पक्ष में उस जिलें में भुगतेय हो।

(iv) डाकघर का बचत खाता।

(v) 1/2/3 वर्षीय डाकघर सावधि जमा।

(vi) राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, जो बिहार राज्य के अन्तर्गत निर्गत हो।

(vii) पाँच वर्षीय डेवलपमेंट बॉण्ड।

(viii) स्टेट डेवलपमेंट लोन सर्टिफिकेट।

(ix) एक करोड़ से अधिक राशि के कार्य हेतु अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नही होगा।

(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

(क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले मे डीड एंव अर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति।

(घ) G.S.T निबंधन प्रमाण–पत्र।

(3) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यो की राशि सहित सूची अपलोड करना है।

(4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/(शपथ पत्र मूल में) (अपलोड) "मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम)... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि–

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी कार्य को विखंडित (Rescind) नहीं किया गया हैं।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।

(ड़) संवेदक के पास (i) **मिक्सर मशीन**, (ii) **नोजल भाईब्रेटर**, (iii) **शटरिंग प्लेट**, (iv) **वाटर टैंकर**, (v) **गुण–नियंत्रण उपकरण** तथा **भवन निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु उपरोक्त क्रमांक (i) से (v) के साथ–साथ एलीभेटर एवं स्टेजिंग पाईप का भी होना आवश्यक है,** जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र–संयत्र एवं गुण–नियंत्रण उपकरणों की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।

75